



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि. ०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: ७ मालमत्ता क्र: २६७७ भाग क्र: जुना गट क्र: ७ जुना मालमत्ता क्र: ७  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै: धारक...  
भोगवटदाराचे नाव: महारुद्र गुणजल  
दुकान / इमारतीचे नाव: A-28 -रुद्रप्रिय विहार विंग-A

मालमत्तेचे वर्णन: अपार्टमेंट  
पत्ता: डिफेंस कॉलनी, दौंड

बिल क्र.

DND10397

| राचे विवरा    | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्निशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती रु दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत | अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु | एकुण कर रु |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| थकीत मागणी रु |              |             |                |                    |                |                |                     |                                 |                                            |            |
| चालु मागणी रु | १०८७         | ४५          | २२             | २२                 | २५२            |                | ३७८                 |                                 |                                            | १८०६       |
| एकुण मागणी रु | १०८७         | ४५          | २२             | २२                 | २५२            |                | ३७८                 |                                 |                                            | १८०६       |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही



## दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

दि. ०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: ७ मालमत्ता क्र: २६७७ भाग क्र: जुना गट क्र: ७ जुना मालमत्ता क्र: ७  
मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै: धारक...  
भोगवटदाराचे नाव: महारुद्र गुणजल  
दुकान / इमारतीचे नाव: A-28 -रुद्रप्रिय विहार विंग-A

मालमत्तेचे वर्णन: अपार्टमेंट  
पत्ता: डिफेंस कॉलनी, दौंड

बिल क्र.

DND10397

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलातील संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील ( राजपत्र दि. २७/०४/२०१० असाधारण भाग ४ ) मधील सुधारीत कलम १५० अ ( १ ) कमेचा पूर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०९/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% शास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ ( १ ) अन्वये एकुण थकीत रकमेच्या प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. व कर रक्कम दंडासह भरणा करणे बंधनकारक राहील. ५) वेळीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पूर्ण कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, व्याज, फी व इतर बाकी रक्कम विहित मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ तरतुदीनुसार अशा विला विरुद्ध अपिल केली नाही, तर अशी रक्कम व तो वसूल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहिते वॉरंट ( अधिपत्र ) मालमत्तेची अटकावणी किंवा जप्ती करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६ ) जम केलेल्या स्यावर मालमत्तेबाबत मा. रक्कमेत आपली स्यावर मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७ ) सदर देयक ३१/०५/२०२४ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. असल्यास, भरलेली रक्कम सदर विलातून समायोजित केली जाईल.

### सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण                                 | थकीत मागणी रु | चालु मागणी                    |                               | बालु वसुली (असल्यास)<br>पावती पु.<br>पावती क्र<br>दिनांक | सन २०२४-२५ ची<br>एकुण देय मागणी रु |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                             |               | प्रथम अर्धवार्षिक<br>मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक<br>मागणी रु |                                                          |                                    |
| संकलित कर रु                                |               | ५४४                           | ५४३                           |                                                          | १०८७                               |
| वृक्ष कर रु                                 |               | २३                            | २२                            |                                                          | ४५                                 |
| अग्निशमन कर रु                              |               | ११                            | ११                            |                                                          | २२                                 |
| वि. स्वच्छता कर रु                          |               | ११                            | ११                            |                                                          | २२                                 |
| शिक्षण कर रु                                |               | १२६                           | १२६                           |                                                          | २५२                                |
| रो. ह. उपकर रु                              |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| उपयोगकर्ता शुल्क                            |               | १८९                           | १८९                           |                                                          | ३७८                                |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत                |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु. |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| एकुण कर रु                                  |               | ९०४                           | ९०२                           |                                                          | १८०६                               |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                      | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टे-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु          |        |         |       |          |          |           |         |         |           |          |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | ९०४    | ९०४     | ९०४   | ९०४      | ९२२      | ९४०       | ९५८     | १८७८    | १९१४      | १९५०     |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | ९०२    | ९०२     | ९०२   | ९०२      | ९०२      | ९०२       | ९०२     |         |           |          |
| एकुण देय रक्कम रु          | १८०६   | १८०६    | १८०६  | १८०६     | १८२४     | १८४२      | १८६०    | १८७८    | १९१४      | १९५०     |

झाडे लावा,  
झाडे जगवा



स्वच्छ दौंड  
सुंदर दौंड



कर विभाग प्रमुख

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे

मुख्याधिकारी